विचार बिन्दु

सबसे उत्तम दान यह है कि आदमी को इतना योग्य बना दो कि वह बिना दान के काम चला सके। –तालमुद

सेहत के लिए हानिकारक है बोतल बंद पानी

बोतल बंद पानी सेहत खराब कर सकते हैं। कुछ बोतल बंद पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देश के सबसे चर्चित बोतल बंद ब्रांड बिसलेरी के पानी के सैंपल में हानिकारक कैंसरकारक कैमिकल्स पाए जाने से लोग सकते में है। बिसलेरी देश भर में बोतल बंद पानी के रूप में हर जगह सर्व सुलभ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पैकेज्ड पानी को 'असुरक्षित' पाया है। प्राधिकरण ने बिसलेरी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल की जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन पाए गए हैं। यह सैंपल तय ब्रोमेट सीमा के अनुसार नहीं पाया गया है। इस जांच के परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि लोग बड़े भरोसे के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग पानी को सुरक्षिंत मान उसका सेवन करते हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषति किया है। लैब की रिपोर्ट में असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन साबित होने के बाद, FSSAI के इएए एक्ट, 2006 के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर मुकद्दमा चलाने की इजाजत दी है। ब्रोमेट एक रासायनिक यौगिक है जो असल में पानी के शुद्धिकरण के दौरान बनता है। ब्रोमेट पानी में नेचुरली नहीं पाया जाता, बल्कि जब पानी शुद्ध किया जाता है तो यह कीटाणु शोधन का उप-उत्पाद यानी बाय-प्रोडक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो ये संभावित रूप से कैंसरकारी तत्व- है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि इस पानी में मौजूद छोटे कण सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जर्नल Results in Engineering में प्रकाशित इस रिसर्च में भारत के बाजार में मिलने वाले छह बड़े ब्रांड के बोतलबंद पानी की जांच की गई। रिसर्च के दौरान जब पानी की जांच की गई तो इसमें PET, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे प्लास्टिक की मौजूदगी भी मिली जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।

आजकल बोतल का पानी पीने का रिवाज व्यापक रूप से प्रचलन में है। घर हो या बाहर हर जगह बोतल का पानी सर्व सुलभ है। इस पर अनेकों शोध होकर बोतल बंद पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कई बार चेताया है प्लास्टिक बोतल से पानी पीना आप की सेहत बिगाड़ सकता है। FSSAI ने पैक्ड मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। आजकल यात्रा सहित अन्य मौकों पर प्लास्टिक बोतल का उपयोग आम बात हो गई है। दिसंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्लास्टिक वाटर बोतल और मिनरल वॉटर बोतल को 'हाई-रिस्क फूड' की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इन इन प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

हाई-रिस्क फूड श्रेणी में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो आसानी से प्रदूषित हो सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसमें डेयरी उत्पाद, मांस, सीफूड, शिशु आहार, रेडी-टू-ईट फूड्स और अब पैक्ड पानी भी शामिल हैं। एक हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि पैक्ड पानी में अत्यधिक मात्रा में नैनो-प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक लीटर बॉटल्ड पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक कण होते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत नैनो-प्लास्टिक होते हैं। यह नैनो-प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे में जब आप इस पानी को पीते हैं तो शरीर में प्लास्टिक पहुंचता है और खून में मिलकर गंभीर परिणाम को पैदा कर सकते हैं।

हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि पैक्ड पानी में अत्यधिक मात्रा में नैनो-प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक लीटर बॉटल्ड पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक कण होते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत नैनो-प्लास्टिक होते हैं। यह नैनो-प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने से बचें और यदि संभव हो तो ग्लास या स्टेनलेस स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि प्लास्टिक की बोतल का ही चुनाव करना पड़े, तो सुनिश्चित करें कि वह बीपीए-मुक्त हो. इसके अलावा, प्लास्टिक की बोतल को उच्च तापमान से दूर रखें, क्योंकि गर्मी के संपर्क में आने पर बीपीए नामक रसायन पानी में घुल सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

हाल ही में इसे लेकर हुए एक शोध में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। अमेरिका में हुए नए अध्ययन में सामने आया है कि दुकानों में बिकने वाले बोतलबंद पानी में लाखों छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। शोध में स्पष्ट रूप से इस पानी को जहरीला बताया। रिपोर्ट में बताया गया है पानी की बोतल में मिलियन की संख्या में छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को हानि पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार दोहरे लेजर का उपयोग करके माइक्रोस्कोप द्वारा पता लगाया है कि बोतलबंद पानी के औसत लीटर में दो मिलियन से अधिक छोटे नैनोप्लास्टिक के अदृश्य टुकड़े होते हैं।

कोलंबिया एंड रटगर्सयूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं पता लगाया है कि तीन कॉमन बोतलबंद वाटर ब्रांड के प्रत्येक के पांच नमूनों को देखते हुए पाया एक लीटर पानी में 110,000 से 400,000 प्लास्टिक के टुकड़े थे, जो औसतन लगभग 240,000 हैं। ऐसे कण हैं जिनका आकार एक माइक्रोन से भी कम है। एक इंच में 25,400 माइक्रोन होते हैं - जिन्हें माइक्रोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक मीटर का दस लाखवां हिस्सा होता है। एक इंसान का बाल लगभग 83 माइक्रोन चौड़ा होता है। अध्ययनों में थोड़े बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए थे जिनकी रेंज 5 मिलीमीटर से लेकर एक चौथाई इंच से भी कम, एक माइक्रोन तक है। अध्ययन में पाया गया कि बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में लगभग 10 से 100 गुना अधिक नैनोप्लास्टिक पाए गए। आज घर-घर में प्लास्टिक ने अपना कब्जा जमा लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक की बोलत में पानी पीने से डायबिटीज सहित शरीर के विभिन्न अंगों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भी हो सकती है। ये बोलतें बाइफिनाइल एक एस्ट्रोजन-मिमिकिंग केमिकल होता है, जो डायबिटीज, मोटापा, प्रजनन संबंधी समस्याएं, व्यवहार संबंधी समस्याएं और लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी का कारण बनता है। बताया जाता है प्लास्टिक से होने वाली हानि से सुरक्षित रहने के लिए प्लास्टिक की बोतल के बजाय तांबे, कांच या स्टेनलेस स्टील की बोतल से पानी पीना अधिक सुरक्षित है।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

एमबीबीएस डिग्री हाथ में - बीपी नापना (?), चिकित्सा शिक्षा का नया मॉडल



प्रोफेसर अशोक कुमार

आज देश में चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल एजुकेशन) का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उसकी गुणवत्ता, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को लेकर उतनी ही गंभीर चिंताएं उभर रही हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियां, सरकारी रिपोर्टें और जमीनी हकीकत एक ऐसे विरोधाभास की ओर इशारा करती हैं, जहां इमारतों और सीटों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों और चिकित्सकीय संवेदनशीलता का अकाल पड़ता जा रहा है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में 750 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें एमबीबीएस की कुल सीटें 1.15 लाख के पार पहुंच चुकी हैं। इनमें लगभग 55 प्रतिशत कॉलेज सरकारी (पब्लिक) हैं और शेष 45 प्रतिशत निजी (प्राइवेट) क्षेत्र में हैं। पिछले एक दशक में कॉलेजों और सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। कागजों पर यह एक बड़ी उपलब्धि दिखती है, लेकिन भीतर झांकने पर स्थिति भयावह नजर आती है। केवल भवन खड़े कर देने और सीटों की संख्या बढ़ा देने से सक्षम चिकित्सक तैयार नहीं होते; इसके लिए समृद्ध प्रयोगशालाओं, आधुनिक नैदानिक उपकरणों और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनका आज घोर अभाव है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों (फैकल्टी) और आधुनिक उपकरणों की भारी कमी एक कड़वा सच है। हालिया आरटीआई और सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं-देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्वीकृत 1,306 फैकल्टी पदों में से 524 पद (लगभग 40 प्रतिशत) रिक्त पड़े हैं। नए एम्स संस्थानों की स्थिति और भी भयावह है; एम्स जोधपुर में 46.7 प्रतिशत, एम्स गोरखपुर में 45.5 प्रतिशत, एम्स जम्मू में 44.3 प्रतिशत तथा एम्स कल्याणी और बिलासपुर में 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल मिलाकर देश के अधिकांश एम्स में औसतन 36 से 40 प्रतिशत तक फैकल्टी की कमी है।

जब देश के शीर्षस्थ संस्थानों का यह हाल है, तो राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वहां कई विभाग केवल कागजों पर या अतिथि और अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। निरीक्षण के समय घोस्ट फैकल्टी (अस्थायी रूप से शिक्षकों को इधर-उधर दिखाना) का खेल आज भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग की एक रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भारी दबाव होने के कारण जो गिने-चुने शिक्षक उपलब्ध हैं, उन्हें भी छात्रों को पढ़ाने और बेडसाइड टीचिंग (मरीज के बिस्तर के पास व्यावहारिक प्रशिक्षण) के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप, एक मेहनती छात्र, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाता है, वहां पहुंचकर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और विद्यार्थियों के सीखने का वास्तविक आउटपुट बेहद कमजोर रह जाता है।

चिकित्सा शिक्षा को भीतर से खोखला करने में एक नया और बेहद खतरनाक चलन पीजी कोचिंग माफिया का भी जुड़ गया है। चिकित्सा विज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अस्पताल के वार्डों में मरीजों के बीच रहकर सीखा जाता है। लेकिन आज एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है। जैसे ही कोई छात्र एमबीबीएस में प्रवेश लेता है, पहले या दूसरे वर्ष से ही ऑनलाइन ऐप्स और कोचिंग संस्थानों का व्यावसायिक जाल उसे घेर लेता है। छात्रों के मन में यह मानसिकता भर दी गई है कि केवल एमबीबीएस की डिग्री से कुछ नहीं होगा, असली सफलता एमडी/एमएस (पीजी) की प्रवेश परीक्षा पास करने में है।

इस अंधी दौड़ का नतीजा यह है कि छात्र मेडिकल कॉलेज की कक्षाओं और अस्पताल के क्लिनिकल वार्डों में जाने के बजाय छात्रावास के कमरों में बैठकर मोबाइल और टैबलेट पर कोचिंग के वीडियो लेक्चर रटते रहते हैं। बिना मरीजों की नब्ज टटोले, बिना उनकी पीड़ा को समझे और बिना व्यावहारिक अभ्यास के डिठी हासिल करने की होड़ लगी है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कई प्रशिक्षु डॉक्टरों को बुनियादी चिकित्सकीय जांच-जैसे रक्तचाप (बीपी) सही तरीके से मापना, स्टेथोस्कोप का सटीक उपयोग या सामान्य लक्षणों की पहचान करना-तक ठीक से नहीं आता। मोटी-मोटी संदर्भ पुस्तकें केवल मोबाइल फोन टिकाने के काम आ रही हैं और व्यावहारिक अनुभव शून्य होता जा रहा है। जब बुनियाद ही इतनी कमजोर होगी, तो भविष्य में ये डॉक्टर किस प्रकार के इलाज करेंगे, इसकी कल्पना मात्र से सिहरन होती है।

निजी कॉलेजों की बेतहाशा फीस और खाली सीटों का विरोधाभास

दूसरी ओर, निजी मेडिकल कॉलेजों का हाल यह है कि वहां एमबीबीएस की पढ़ाई आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी है। एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चे को निजी कॉलेज से डॉक्टर बनाना असंभव सा है, क्योंकि वहां की पूरी पढ़ाई का खर्च 50 लाख रुपये से लेकर 2 से 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस बेतहाशा महंगाई का परिणाम एक अजीबोगरीब विरोधाभास के रूप में सामने आ रहा है। एक तरफ नीट जैसी परीक्षा में 20 से 24 लाख युवा एक-एक सीट के लिए दिन-रात जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निजी मेडिकल कॉलेजों की महंगी सीटों और सुपर-स्पेशियलिटी की सैकड़ों सीटें हर साल खाली रह जाती हैं। यह स्पष्ट करता है कि चिकित्सा शिक्षा अब मानव सेवा का माध्यम न रहकर शुद्ध रूप से पूंजी का खेल बन गई है, जहां योग्यता पर धनबल भारी पड़ रहा है।

शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का एक बड़ा कारण परीक्षा प्रणाली में बाहरी और राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तरह अब मेडिकल कॉलेजों में भी अनुत्तीर्ण न करने का अघोषित दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि कोई छात्र पढ़ाई या व्यावहारिक परीक्षा में कमजोर रहता है और परीक्षक या शिक्षक उसे अनुत्तीर्ण (फेल) करने का साहस दिखाते हैं, तो तुरंत राजनीतिक दबाव, घेराव और धरना-प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है।

प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अंततः कमजोर छात्रों को भी कृपांक देकर या दबाव में उत्तीर्ण कर दिया जाता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि एक सामान्य विषय में यदि कोई छात्र बिना पर्याप्त ज्ञान के पास हो जाए, तो समाज को होने वाला नुकसान सीमित होता है; लेकिन यदि एक अधकचरा डॉक्टर समाज में भेजा जाता है, तो वह सीधे तौर पर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है।

आगे की राह और नीतिगत सुधार -चिकित्सा शिक्षा के इस गिरते स्तर को रोकने के लिए कठोर, पारदर्शी और दूरगामी कदम उठाने होंगे। सर्वप्रथम, किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को खोलने या सीटों की वृद्धि की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब वहां 100 प्रतिशत स्थायी शिक्षक, पूरी प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और सुसज्जित अस्पताल मौजूद हों। केवल भवन निर्माण के आधार पर मान्यता देना तत्काल बंद होना चाहिए।

दूसरे, एमबीबीएस के दौरान क्लिनिकल वार्डों और कक्षाओं में छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए तथा पीजी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में ऐसा आमूलचूल बदलाव हो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रटने के बजाय व्यावहारिक और क्लिनिकल ज्ञान की परख हो सके। तीसरे, निजी कॉलेजों की फीस पर एक तार्किक और पारदर्शी नियंत्रण आवश्यक है ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक अभाव में पीछे न हटना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल कॉलेजों की परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रणाली को हर प्रकार के राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। देश को केवल डॉक्टरों की भारी संख्या नहीं, बल्कि ऐसे सक्षम, संवेदनशील और प्रशिक्षित चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिनके हाथों में समाज का जीवन सुरक्षित रह सके।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर एवं
गोरखपुर विश्वविद्यालय

एक ज्वलंत विषय : परिसीमन



प्रो. कैलाश सोडाणी

इस समय देश में जनगणना और परिसीमन को लेकर राजनैतिक एवं संवैधानिक स्तर पर काफी उथल-पुथल चल रही है। सीटों की नई गणित और जुगलबन्दी के मध्य सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीति में जुट गये है। परिसीमन से देश के राजनैतिक भूगोल में बदलाव होगा। परिसीमन का आधार जनसंख्या है। 1971 में देश की 55 करोड़ की आबादी के आधार पर तत्कालीन परिसीमन से लोकसभा की 543 सीटें निर्धारित की गयी थी। 55 वर्ष बाद 2027 में जब देश की आबादी लगभग 148 करोड़ होने का अनुमान है, तदपश्चात होने वाले परिसीमन के परिणामों को हम समझ सकते है।

इस पूरी चर्चा-परिचर्चा में लोकसभा सीटों में वृद्धि, आरक्षित सीटों का निर्धारण, बढ़ी हुई सीटों को लेकर उत्तर-दक्षिण राज्यों में असन्तुलन और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण मुख्य विषय है।

भारत में विधायी निकायों (लोकसभा एवं विधानसभा) के चुनावी क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना ही परिसीमन (Delimitation) है। जनसंख्या तो घटती-बढ़ती रहती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र (constituency) में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे, जिससे हर नागरिक के वोट का मूल्य बराबर बना रहे। प्रजातंत्र का आधार है- एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। समय के साथ जन्म दर, शहरीकरण और प्रवासन के कारण कुछ क्षेत्रों की आबादी बहुत बढ़ जाती है और कुछ की कम हो जाती है। परिसीमन इस असन्तुलन को ठीक करता है। आबादी के अनुसार ही आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि (एमपी या एमएलए) बहुत बड़े या बहुत छोटे जनसमूह का असमान रूप से प्रतिनिधित्व न करें।

भारत में यह कार्य एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था "परिसीमन आयोग" (Delimitation Commission) द्वारा किया जा रहा है। आयोग के आदेश को कानून के समान दर्जा प्राप्त है। आयोग के फैसलों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती एवं संसद एवं विधानसभाएं भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। भारत में अब तक चार बार 1952, 1963, 1973 एवं 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया।

परिसीमन के परिणामस्वरूप लोकसभा सीटों की संख्या 1951 की जनगणना के बाद 489 से बढ़कर 494 हो गई। 1961 की जनगणना से बढ़कर 522 हो गई और 1971 की जनगणना के बाद यह बढ़कर मौजूदा संख्या 543 तक पहुँच गयी फिर संख्या को स्थिर कर दिया गया।

1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया। 2001 में 84वें संशोधन द्वारा इस रोक को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया। मेरा मानना है कि लोकसभा की सीटों को स्थिर करने का निर्णय प्रजातान्त्रिक भावनाओं के अनुरूप नहीं था। परिसीमन तो जनगणना के साथ-साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज परिसीमन को लेकर जो विवाद हो रहा है उसका कारण भी लंबे समय से परिसीमन को स्थगित करना ही है। 2002 में गठित आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर 543 की संख्या को स्थिर रखते हुए केवल निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया।

स्वतंत्रता के बाद 7वीं बार राष्ट्रीय जनगणना 2011 में आयोजित की गयी। अगली जनगणना 2021 में होनी तय थी लेकिन कोविड महामारी के कारण सम्भव नहीं हो पायी। लम्बे इन्तजार के बाद जनगणना (2026-27) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। यह जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी।

पहली बार जातिगत डेटा भी एकत्र किये जायेंगे। 2027 में होने वाली जनगणना के पश्चात सम्भावित परिसीमन का मतदान और चुनावी समीकरणों पर गहरा और व्यापक असर पड़ेगा। परिसीमन के चलते कई संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएँ बदल जायेंगी। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर लगभग 816 से 850 के बीच हो सकती हैं। 106वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण इसी नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा।

उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लोकसभा की सीटों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम हुआ है, उनकी सापेक्षिक रूप से राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी आ सकती है। इस स्थिति से बचने की दृष्टि से केन्द्र सरकार सभी राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को मंजूरी देना। जिससे लोकसभा की वर्तमान संख्या को 850 करने का प्रस्ताव था। 131वें विधेयक का उद्देश्य इस लम्बी देरी को खत्म करना था, ताकि 2029 के आम चुनावों से ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। लोकसभा में यह विधेयक आवश्यक दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। विपक्ष और विशेषकर दक्षिणी राज्यों के दलों के विरोध का कारण जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्गठन को लेकर है।

दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व कम होने की आशंका को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने आश्वस्त किया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं की जायेंगी। दक्षिण भारत की सीटें भी लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर 129 से 195 की जा सकती हैं। साथ ही केन्द्र सरकार की राज्यों एवं क्षेत्रीय दलों के साथ व्यापक विचार विमर्श से परिसीमन को लेकर जो आशंकाएं हैं, यथाशीघ्र समाधान की सम्भावना है। जिससे देश के प्रत्येक मतदाता के मत का समान महत्व बना रहेगा।

–प्रो. कैलाश सोडाणी,
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान
महावीर खुला विवि., कोटा

राशिफल शनिवार 28 नवम्बर, 2026



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत-2083, पुर्नवसु नक्षत्र दिन 12:50 तक, शुक्ल योग रात्रि 8:18 तक, कौलव करण सायं 5:19 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 7:23 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-सिंह, बुध-तुला, गुरू-सिंह, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज महापात योग सायं 6:20 से रात्रि 11:40 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– शुभ 8:19 से 9:37 तक, चर 12:14 से 1:33 तक, लाभ अमृत 1:33 से 4:10 तक।

राहुकाल– 9:00 से 10:30 तक, सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 5:29

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अपने मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
मानसिक तनाव दूर होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मनःस्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।`

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कुंभ
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

मीन
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

लोक कलाकारों की थाप पर धड़के राजस्थान, नई पीढ़ी से जुड़ें संस्कृति के तार



डॉ. लीलाधर दोचानिया

राजस्थान की पहचान केवल उसके भव्य किलों, महलों, रंग-बिरंगे परिधानों और रेतीले धोरों तक सीमित नहीं है। इस धरती की असली आत्मा उसके लोकगीतों, लोकनृत्यों, लोकवाद्यों, लोकदेवताओं की गाथाओं और उन कलाकारों में बसती है, जिन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी कला को जीवित रखा है। मांड के मधुर सुर, घूमर की लय, कालबेलिया नृत्य की मोहक मुद्राएँ, कठपुतलियों का जीवंत संसार और ढोलक-खड़ताल की थाप राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है-क्या राजस्थान की यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक उसी आत्मीयता के साथ पहुँच रही है, जिस आत्मीयता से पिछली पीढ़ियों ने इसे सँजोया था?

राजस्थान के लोक कलाकार केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि वे इतिहास, परंपरा, जनजीवन और सामूहिक स्मृतियों को अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। उनके गीतों में प्रेम है, विरह है, वीरता है, भक्ति है और जीवन के संघर्षों से जूझने की प्रेरणा भी है। उनकी प्रस्तुतियों में गाँवों की खुशबू, मरुस्थल की संवेदना और जनमानस का अनुभव एक साथ दिखाई देता है। मांड गायन की मिठास हो या मांगणियार और लंगा समुदायों की संगीत परंपराएँ, इन कलाओं में वर्षों की साधना और पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। इसी प्रकार कालबेलिया नृत्य, चंग की थाप, गवरी जैसी लोक नाट्यय परंपराएँ और कठपुतली कला राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त करती हैं।

इन परंपराओं को जीवित रखने वाले कलाकारों का सम्मान केवल मंच पर तालियाँ बजाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी कला को उचित अवसर, नियमित मंच, आर्थिक संबल और समाज में सम्मान मिलना भी आवश्यक है। आज की नई पीढ़ी डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया और वैश्विक मनोरंजन की दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है। उसकी रुचियाँ बदली हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम बदले हैं और मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। समस्या आधुनिकता नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अनजान होते जाना है। यदि किसी युवा को विदेशी संगीत की जानकारी है, लेकिन वह अपने प्रदेश के लोकगीतों और लोकवाद्यों से परिचित नहीं है, तो यह सोचने का विषय अवश्य है। इसका समाधान नई पीढ़ी की रुचियों को नकारना नहीं, बल्कि राजस्थान की लोककला को उसके समय और माध्यम के अनुरूप प्रस्तुत करना है।

लोकगीतों की आकर्षक डिजिटल रिकॉर्डिंग, लोक कलाकारों के जीवन पर लघु वृत्तिचत्र, विद्यालयों और महाविद्यालयों में सांस्कृतिक संवाद तथा सोशल मीडिया पर प्रामाणिक प्रस्तुतियाँ युवाओं को इस विरासत से जोड़ सकती हैं। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम परिवार और शिक्षा हो सकते हैं। परिवारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दादा-दादी और नाना-नानी से सुनी लोककथाएँ, विवाह और त्योहारों पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीत तथा गाँवों की सांस्कृतिक स्मृतियाँ बच्चों के मन में अपनी मिट्टी के प्रति आत्मीयता पैदा करती हैं। जब परिवार स्वयं अपनी परंपराओं को महत्व देगा, तभी बच्चे भी उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे।

किसी भी लोककला का भविष्य उसके कलाकारों के भविष्य से अलग नहीं हो सकता। यदि पारंपरिक कलाकारों को पर्याप्त काम नहीं मिलेगा, उनकी प्रस्तुतियों के लिए उचित पारिश्रमिक नहीं होगा और उनकी कला सीखने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो कई परंपराएँ धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। समाज, सांस्कृतिक संस्थाओं, आयोजकों, शिक